

गृह विभाग

1. गृह रक्षकों के कर्तव्य भत्ता में वृद्धि के संबंध में।

1. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होने वाली राशि 636.124 करोड़ रु० (छः अरब छत्तीस करोड़ बारह लाख चालीस हजार रु०) एवं इसके अतिरिक्त असम्बद्ध अनुदान के रूप में प्राप्त राशि 179.13 करोड़ रु० (एक अरब उनासी करोड़ तेरह लाख रु०) अर्थात् कुल 815.254 करोड़ रु० (आठ अरब पन्द्रह करोड़ पचीस लाख चालीस हजार रु०) को पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. बेगूसराय जिलान्तर्गत गंगा नदी के कटाव से विस्थापित 133 परिवारों (सूची संलग्न) को पुनर्वास, आवासीय परियोजन हेतु अंचल-बछवाड़ा मौजा-चमथा, थाना सं०-63 खाता सं०-1533, खेसरा सं०-3954 कुल रकबा-3.99 एकड़ (प्रति परिवार तीन डिसमिल), गैर मजरूआ आम किस्म मरगंग भूमि की निःशुल्क बन्दोबस्ती के संबंध में।

3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. पटना जिला के अंचल-बिहटा, मौजा-पैनाल, थाना सं०-70, खाता सं०-1112, खेसरा सं०-5666, रकबा-0.13 (अंश) एकड़ एवं खाता सं०-1827, खेसरा सं०-5669, रकबा-0.09 (अंश) एकड़ अर्थात् कुल रकबा-0.22 एकड़ बकाशत मालिक (सरकारी घोषित) भूमि बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

4. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. रोहतास जिलान्तर्गत अकोढीगोला अंचल के मौजा-बंधपा, थाना नं०-96, खाता सं०-162, खेसरा सं०-477, रकवा-0.01 एकड़ (एक डी०) अनावार सर्वसाधारण किस्म पुरानी परती भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु श्रीमती सैरून खातून पति नबी हसन अंसारी सा०-बंधपा थाना-अकोढीगोला, जिला-रोहतास, जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अनुसूची-1 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी की और भूमिहीन है, के साथ 0.20 रु० (बीस पै०) प्रति डी० वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर इस शर्त के साथ बन्दोबस्ती की जाय कि बन्दोबस्त भूमि का हस्तान्तरण एवं बिक्री किसी अन्य के साथ अनुमान्य नहीं होगा।
5. स्वीकृत।

विधि विभाग

6. श्री ब्रजेन्द्र किशोर पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, विधि विभाग के दिनांक-01.02.2012 से 31.01.2013 तक संविदा के आधार पर हुई नियुक्ति एवं इस अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक की घटनोत्तर स्वीकृति एवं योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए प्रशाखा पदाधिकारी, विधि विभाग के पद पर संविदा पर नियोजित करने के संबंध में।
6. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

7. विभागान्तर्गत नवस्वीकृत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय में 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 80 (अस्सी) तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायक कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

8. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु० 19800.00 लाख (एक सौ अठानवे करोड़) के व्यय की स्वीकृति।
8. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

9. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु० 16200.00 लाख (एक सौ बासठ करोड़) के व्यय की स्वीकृति।
9. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

10. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 1400.00 लाख (चौदह करोड़) के व्यय की स्वीकृति। 10. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

11. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 88520.00 लाख (आठ सौ पचासी करोड़ बीस लाख) के व्यय की स्वीकृति। 11. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

12. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 7172.00 लाख (एकहत्तर करोड़ बहत्तर लाख) के व्यय की स्वीकृति। 12. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

13. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 16200.00 लाख (एक सौ बासठ करोड़) के व्यय की स्वीकृति। 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 550 करोड़ (पांच सौ पच्चास करोड़) रूपये की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 के प्रारूप का अनुमोदन। 15. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

16. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) के व्यय की स्वीकृति। 16. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

17. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू० 4600.00 लाख (छियालीस करोड़) के व्यय की स्वीकृति। 17. स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. तेलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपोम) का वर्ष 2013-14 के लिए कुल 1191.596 लाख रूपया (केन्द्रांश-894.197 लाख एवं राज्यांश-297.399 लाख रूपया) की लागत पर योजना कार्यान्वयन, भारत सरकार से अतिरिक्त योजना आकार प्राप्त होने पर इस कार्यक्रम के आकार के अनुसार सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, दलहन, तेलहन तथा मक्का के बीज पर केन्द्र प्रायोजित योजना में अनुमान्य अनुदान 1200 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्यांश मद से 800 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति तथा केन्द्रांश मद में भारत सरकार से पुनर्वैधिकरण/विमुक्ति की प्रत्याशा में राशि के व्यय की स्वीकृति। 18. स्वीकृत।

कृषि विभाग

19. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन जलवायु परिवर्तन से सामंजस्य के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन के प्रोत्साहन की योजना का वर्ष 2013-14 में 29.60 करोड़ रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन उक्त कार्यक्रम के लिए व्यय करने की स्वीकृति। 19. स्वीकृत।

कृषि विभाग

20. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार तथा बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना तथा केन्द्रीय बीज ग्राम योजना की स्वीकृति। 20. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

21. श्रेणी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। 21. स्वीकृत।